राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4205/2025

सुमन देवी

–अपीलार्थी

बनाम

शासन सचिव, गृह विभाग, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 09.09.2025
सुनवाई की दिनांक : 11.09.2025
आदेश की दिनांक : 11.09.2025
अपीलार्थी की ओर से : श्री के.सी मीणा, अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, (अध्यक्ष)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 25.10.2010 को उपनिरीक्षक के पद पर भर्ती के लिए एक विज्ञापन जारी किया था। अपीलार्थी ने उक्त पद पर नियुक्ति के लिए योग्य एवं पात्र होने के कारण अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग के अंतर्गत उक्त पद के लिए आवेदन किया तथा दिनांक 25.5.2011 को आयोजित लिखित परीक्षा एवं वर्ष 2012 में आयोजित साक्षात्कार में भी भाग लिया तथा आरपीएससी ने वर्ष 2013 में उक्त परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित किया, जिसमें अपीलार्थी को मेरिट में 1627 अंक दिए गए तथा नियुक्ति के लिए प्रत्यर्थियों को अनुशंसा की गई। आरपीएससी द्वारा भेजी गई मेरिट सूची के आधार पर, प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 9.5.2014 के आदेश द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की है, परन्तु अपीलार्थी को बिना कोई वैध एवं न्यायोचित कारण बताए उक्त आदेश से बाहर कर दिया गया है, जबकि अपीलार्थी से कम योग्य अभ्यर्थियों अर्थात् कंचन कुमारी (मेरिट संख्या 1628), किरणजीत कौर (मेरिट संख्या 1636), राजू देवी राज (मेरिट संख्या 1640) और सुंदर कला नायक (मेरिट संख्या 1651) को नियुक्ति प्रदान की गई है। (अनुलग्नक–1) अन्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने के 2 वर्ष से अधिक समय पश्चात प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 8.11.2016 के आदेश द्वारा अपीलार्थी को नियुक्ति प्रदान की। (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी का मामला माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हेमराज रेगर एवं अन्य द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 4640/2018 के मामले में पारित दिनांक 7.3.2018 के निर्णय से आच्छादित है, जिसके तहत माननीय उच्च न्यायालय ने उपरोक्त रिट याचिका का निपटारा प्रत्यर्थी

संख्या 2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को निर्देश देते हुए किया था कि वे दो महीने की अवधि के भीतर मनोज खंडेलवाल एवं अन्य के पक्ष में दी गई राहत को बढ़ाने के लिए याचिकाकर्ता की शिकायतों का समाधान करते हुए एक तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश द्वारा याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर विचार करें और निर्णय लें। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग में दिनांक 18.08.2025 (अनुलग्नक–3) को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग द्वारा इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलार्थी को नियुक्ति की तिथि से अन्य अभ्यर्थियों अर्थात वर्ष 2010 की समान चयन प्रक्रिया में उपनिरीक्षक को दिए गए काल्पनिक लाभ अर्थात वरिष्ठता, वेतन वृद्धि और अन्य लाभ सभी परिणामी लाभों के साथ प्रदान किए जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष